(1)
SDO

27/06/22 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप.।
पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकलाय की बहस पर मनन के पश्चात इस्तगाथ प्रकरण में जाहिर है कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के ख. नं. 964 में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होना वर्णित करते हुये प्रा. पत्र धारा 251 A के माध्यम से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के ख. नं. 968 से नवीन रिकॉर्डड रास्ते की मांग की गई है परंतु अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार बिसलपुर के ख. नं. 963 प्रार्थी पोकर के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि है ख. नं. 963 जो मुख्य रास्ते से जुड़ता हुआ है तथा उक्त आवेदन में वर्णित प्रार्थी की भूमि ख. नं 964 से लगता हुआ है जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्ति स्वीकार योग्य है विधिक प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने पर धारा 251 A के तहत प्रार्थी की सुविधा अनुसार नया रास्ता स्वीकृत किया जाना विधिक प्रावधानों से प्रतिबंधित है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 251 A खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

SDO

Scanned with CamScanner